

09/20

पत्रावली पेश हुई। वकील जैकी उपरुद्धी  
वकील उषागिठ को कक-कक कर आवान  
लगाई गयी। धाजिर नथी है। स्वयं उषागिठ  
भी अनुपस्थित। लिखना प्रबना यज  
उषागिठ वकील उषागिठ की आदम  
धजरी - अहम पैरवी में खारिज किया  
जाता है। तथा न्यायालय कारा जारी  
अस्वारी निषेधाज्ञा दिनांक 04.10.2016 को  
निरस्त किया जाता है। पत्रावली कौसली  
में शुमार धक-धूल वाट कलम रखे।

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)  
रायसिंहनगर

